



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/47/2020-708

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— 11/08/2021

विषय— श्री राकेश कुमार द्वारा गया जिलान्तर्गत मटिहानी मौजा के खाता संख्या-28, प्लॉट संख्या-260(पु०), थाना-मगध महाविद्यालय, NH-83 (New NH-22) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.028875 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/44828/2020/4462, दिनांक 19.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 06.07.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 19.01.2021 में निहित कंडिका	अनुपालन
A:	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.	
1	The User agency shall transfer the cost of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 7,52,635.00 (रु० सात लाख बावन हजार छः सौ पैतीस) मात्र की राशि को Account No. 1506219944828113, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.06.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBIN121175061834 एवं है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.028875 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.028875 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 18,076/- (अठारह हजार छिहत्तर रुपये) मात्र की राशि को Account No. 1506219944828113, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, New Delhi, में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.06.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBIN121175061834 एवं है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.06.2021 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र की इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।
B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:		
1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall be identified by the State Forest department	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्य को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having other amenities like place	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel station may be provided without disturbing the road side plantations.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
5	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall in consultation with SFD undertake appropriate	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(a)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the existence	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	Any other conditions that the Ministry of Environment, Forest & Climate change may stipulate	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.028875 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।**

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC/47/2020- १०८

दिनांक— 11/08/2021

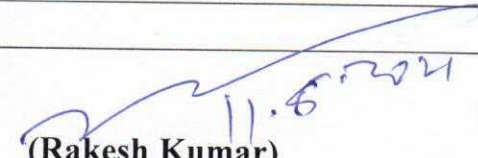
प्रतिलिपि : वन संरक्षक, गया अंचल, गया / वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया एवं श्री राकेश कुमार, ग्राम-औरा, पोस्ट-सहदेवखप, थाना-मगध यूनिभरसिटी, जिला-गया, पिन-824234 को सूचना हेतु प्रेषित।

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Gaya/ Gaya Forest Division, Gaya.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shri Rakesh Kumar / BPCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.028875 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	19.01.2021				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a. Compensatory Afforestation	7,52,635.00				
	b. Additional CA	-NA-				
	c. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	18,076.00				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-challan	SBIN121175061834 dt.	18,076/-	NPV
		2		24.06.2021	7,52,635/-	CA
		Total-			7,70,711/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, New Delhi on dt. 24.06.2021				
12	Any other remarks					


(Rakesh Kumar)
 Signature of APCCF (CAMPA)-
 cum-Nodal Officer (FC), Bihar.